

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-326/2018

1. चन्द्रभान } पि० कृपालराम
2. औमप्रकाश } जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया
3. गुड्डीदेवी पत्नी मदनलाल } जिला हनुमानगढ।
4. सुभाषचन्द्र पुत्र मदनलाल }

वादीगण

बनाम्

1. मनोहरी देवी पत्नी बद्रीप्रसाद } जाति सुथार निवासी मक्कासर तहसील व
2. मैनादेवी पुत्री कालूराम पत्नी कालूराम } जिला हनुमानगढ।
3. लीलादेवी पत्नी देवीलाल जाति सुथार निवासी नाथवाना ढाणी 5 एन.टी.डबल्यू  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. विद्यादेवी पत्नी कृपालराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ।
5. सुनिता पुत्री कृपालराम पत्नी इन्द्राज जाति सुथार निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ।
6. संगीता देवी पुत्री कृपालराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी कोहला तहसील  
व जिला हनुमानगढ।
7. मामकौरी पत्नी भोमाराम } कौम सुथार निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला
8. नरसीराम पुत्र भोमाराम } हनुमानगढ।
9. प्रभूदयाल पुत्र भोमाराम }
10. विनोदकुमार पुत्र भोमाराम }
11. गौरादेवी पुत्री भोमाराम पत्नी जयलाल जाति सुथार निवासी बणी तहसील रानियां  
जिला सिरसा।
12. रचना पुत्री मदनलाल पत्नी अनु जाति सुथार निवासी रामपुरा तहसील डबवाली  
जिला सिरसा।
13. मन्जू पुत्री मदनलाल पत्नी बलजिन्द्रसिंह जाति सुथार निवासी धोलीपाल तहसील व  
जिला हनुमानगढ।
14. राजेश पुत्र मदनलाल } कौम सुथार निवासीयान रतनपुरा तहसील संगरिया
15. गुड्डी देवी पत्नी श्रीराम } जिला हनुमानगढ।
16. रोहिताश पुत्र श्रीराम }
17. संजय कुमार पुत्र श्रीराम }
18. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते  
इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर वर्मा वकील वादी मिन जाभिन मुदई  
श्री सुभाषचन्द्र गर्ग प्रतिवादीया मिन जानिय मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व  
डिक्री दी जाती है कि मृतक कालूराम के नाम से चक नं० 10 एसवीएन के खाता सं०  
20/12 संवत 2073 ता 76 में कुल 10.879 है० नहरी, वारानी रकबा निम्नानुसार प्राप्त  
हुआ है-चक नं० 10 एसवीएन के प०न० 186/202 मु० 5 किला नं० 24,25, /506,  
प०न० 186/203 मु० 20 किला नं० 1 ता 5 मय गै०मु० रास्ता, 6 ता 10, 11/.136  
उतरी दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम किला नं० 10 के चिपते हुए, प०न०  
185/203/मु० 21 किलानं० 6,7,13,14,15 में वादी सं० 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा



उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक कलक्टर  
टिब्बी

शेष रही 1/2 हिस्सा में से प्रतिवादी सं० 8 नरसीराम का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 9 प्रभूदयाल का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 10 विनोद कुमार का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 16 व 17 रोहताश व संजय कुमार 1/5 हिस्सा ब०हि०ब०, वादीया सं० 3 गुड्डी देवी 1/5 हिस्सा एंवम् प्रतिवादी सं० 1 मनोहरीदेवी प्रतिवादी सं० 2 मैनादेवी ब०हि०ब० चकनं० 10 एस.बी.एन के प०न० 186/203 मु० 20 किला नं० 11/.117, 12 ता 25, प०न० 185/203 मु० 21 किला नं० 16 मय गै०मु० रास्ता, 17, 25 मय गै०मु० रास्ता, प०न० 186/204 मु० 29 किला नं० 2,3,4,7,8,13,14,17 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम की जाकर चक नं० 10 एस.बी.एन के खाता सं० 20/12 में से कालूराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 1.0|9|18 अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....1.0|9|18.....को जारी किया गया।



(उपखण्ड अधिकारी, देहरादून)  
सहायक सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी